न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद प0 सं0 58/2019

निर्णय दिनांक 12.10.2020

पीठासीन अधिकारी: युगान्तर शर्मा, आर0ए0एस0

राजेश काला वगैराह

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम बदरवास स्थित खसरा संख्या 79/1 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु. आबादी इस भूमि पर मीणावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना किर्ति सागर सृजित हो चुकी है व ख. न. 78 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. श्मशान है। भू प्रबंध कर्मचारियों की गलती से ख.न. 78 रकबा 8 बिस्वा की तरमीम गलत रूप से ख.न. 79/1 में दर्ज कर दी गयी जबकि ख.न. 78 की तरमीम 140 फीट दूर होनी चाहिए थी। भूप्रबंध विभाग द्वारा गत नक्शे से तैयार वर्तमान नक्शा त्रुटिपूर्ण है। मौके पर भी गै.मु. श्मशान अन्यत्र है जिसके चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है एवं मौके पर शवदाह कार्य इसी स्थान पर हो रहा है। इस प्रकार गत नक्शे व वर्तमान मौके से ख.स. 78 की गलत तरमीम होना, त्रुटि होना बताया है।प्रार्थी अनुसार त्रुटि दुरूस्ती से किसी को किसी प्रकार की हानि नही होगी। प्रार्थीगण को मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति के प्लॉट संख्या 14 व 2 आवंटित किया [illegible] था। प[illegible]ान की गलत तरमीम के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] जारी नहीं किया गया जिससे प्रार्थी के हक–अधिकार प्रभावित [illegible] है। इसलिये ख[illegible] रकबा 08 बिस्वां की सही तरमीम मौ[illegible] व गत नक्शा अनुस[illegible] जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार जयपुर द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट/जबाव प्रेषित किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम बरवास के ख.स. 79/1 किस्म बारानी 3 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:31:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है जो कि खातेदार नरेश चन्द जैन पुत्र गुलाब चंद जैन विनीता बंसल पुत्री नरेश चन्द जैन हिस्सा 1/3 विवेक जैन पुत्र नरेश चन्द जैन हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है आदेश पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कीर्ति सागर में सृजित होना अंकित है। जिस हेतु ज0वि0प्रा0 के सर्वे प्लान के नक्शे की प्रति भी संलग्न है जो कि श्रीमान उपायुक्त जोन–18 द्वारा हस्ताक्षरित है। इस नक्शे में ख.न. 79/1 मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर(रजि0 नं. 2591/एल) अंकित है । ख.न. 79/1 के पास ख.न. 78 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. (सिवायचक) दर्ज है। नक्शा लट्ठा, गूगल नक्शा, जे.डी.ए. सर्वे प्लान को सुपरइम्पोज करने पर ख.न. 78 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 1 एवं 2 स्थित आये हैं वहां श्मशान नहीं पाया गया अपितु गै.मु. श्मशान मय बाउण्ड्रीवाल ख.स. 78 से उत्तर दिशा में ख.न. 79/1 में स्थित होना पाया गया। जिसका उल्लेख जविप्रा कार्यालय टिप्पणी में भी अंकित है। इस प्रकार ख.न. 78 में किस्म गै.मु. श्मशान स्थित नहीं है अपितु मौके पर श्मशान ख.स. 79/1 में स्थित है और मौके पर गै. मु. श्मशान की बाउण्ड्रीवाल के अंदर रकबा लगभग 0.08 बीघा है जो कि नक्शे में ख.स. 78 की तरमीम से उत्तर दिशा में लगभग 140 फुट दूर स्थित है। मौके का नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया । प्रार्थना पत्र, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करने पर पाया कि वर्तमान नक्शे में ख.स. 78 रकबा 0.08 बीघा की तरमीम गत राजस्व नक्शे अनुसार नहीं है एवं मौके पर भी ख.स. 78 का उपयोग श्मशान के रूप में नहीं होकर गत नक्शे अनुसार ख.न. 79/1 में वर्तमान ख.स. 78 से लगभग 140 फुट उत्तर की तरफ गै.मु. श्मशान की पुख्ता चारदीवारी बनी हुई है और चार दीवारी में ही शवदाह का कार्य किया जाता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे में ख.स. 78 की वर्तमान तरमीम विलोपित करते [illegible] स्थित गै.मु. श्मशान [illegible] संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार रकबा 0.08 [illegible] किया जाता है। निर्णय खुले इजलास अनुसार किये जाने [illegible] हो दर्ज नं. से कम हो सुनाया गया । पत्रावली फैसल शु[illegible] हो दर्ज नं. से कम हो तहसीलदार जयपुर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested

(युगान्तर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Scanned with CamScanner